उपर्युक्त के अलावा, केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० द्वारा अप्रैल, 1995 में मैं० नेशनल डेवलपमेंट कारपोरेशन जो कि तंजानिया सरकार का एक उपक्रम है, से एक विदेशी संविदा प्राप्त किया गया था, जो कि तंजानिया में मोचुमा कोलियरी के लिए तथा तापीय विद्युत गृह के लिए एक व्यवहार्य अध्ययन रिपोर्ट तैयार किए जाने के लिए प्राप्त हुआ था। इस संविदा की कुल कीमत 2.55 मिलियन अमरीकी डालर है।

देश में क्रोमाइट अयस्क के अनुमानित भंडार

*513 **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:**
श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में क्रोमाइट अयस्क के क्षेत्र-वार अनुमानित भंडारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या क्रोमाइट की खानों को गैर-सरकारी/सरकारी क्षेत्र को पट्टे पर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है!

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में क्रोमाइट अयस्क के कुल अनुमानित निक्षेपों का राज्यवार ब्यौरा निचे दिया गया है:—

क्र०सं०	राज्य	अनुमानित कुल निक्षेप (मि० टन में)
1.	आंध्र प्रदेश	0.086
2.	बिहार	0.466
3.	कर्नाटक	1.143
4.	महाराष्ट्र	0.731
5.	मणिपुर	0.002
6.	उड़ीसा	183.395
7.	तमिलनाडु	0.261

(ख) जी, हा। क्रोमाइट खानों के खनन पट्टे, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्र के आवेदकों को ऐतिहासिक तौर पर दिये गए है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार ब्यौरे निम्न प्रकार है:—

क्र०सं०	राज्य	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	—	2	2
2.	बिहार	—	1	1
3.	कर्नाटक	6	—	6
4.	महाराष्ट्र	—	2	2
5.	मणिपुर	—	2	2
6.	उड़ीसा	11	10	21
	कुल:	17	17	34

Payment of Arrears to Sugarcane Growers in U.P.

*515. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Uttar Pradesh High Court awarded payment of arrears to sugargane growers of the State with interest under the Sugarcane Control Act;

(b) whether the High Court also reprimanded his Ministry for their inaction in the matter, together with details thereof;

(c) if so, whether Government would see that other provisions of the said Act like waiting charges, compensation for uncrushed cane are also implemented;

(d) whether arrears for Sugarcane payments in Punjab and other States would also be cleared, likewise; and

(e) details of arrears in different States?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) to (e) The High Court of Allahabad (Lucknow Bench) has passed an Interim Order in W.P. NO. 1720 (MB) of 1996, M.V. Singh vs. State of U.P. and others, directing the